छीतर बनाम श्रीराम वगैरह, अपील संख्या 2018/00241, आदेश दिनांक 13.08.2018

यह पत्रावली न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांकः मुन्तकिली/टीए/4449/2016/जिला/टोंक/ निर्णय दिनांक 07.05.2018 द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 97/2015 बउनवानी छीतर बनाम श्रीराम वगैरह को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहॉ स्थानान्तरिम किये जाने के आदेश दिये जाने के फलस्वरूप भिजवायी हैं तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू की पत्रावली संख्या 74/2011 व 62/2011 निर्णय दिनांक 26.05.2015 भी भिजवायी हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 07.05.2018 अनुसार अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। मान्नीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने उभय पक्षकारान को दिनांक 13.08.2018 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया हैं। भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के द्वारा उभय पक्षकारान को पाबंद किये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलांटस एवं उनके अभिभाषक को कई बार आवाजें दिलाई किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

अतः अपील अपीलांटस अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।